

राज्यसभा के सभापति

प्रलिस के लयल:

अनुच्छेद 89, उपराषुडरपतल, उचुच सदन, राज्य सभा के उपसभापतल, भारतीय संवधलन ।

मेनुस के लयल:

राज्यसभा के अधुयकुष से संबधतल संवधलनकल प्रलवधलन और शकुतयलँ ।

चरुचल में कुयँ?

हलल ही में जगदीप धनखडु को [राज्यसभा](#) के सभापतल के रूड में चुनल गयल ।

राज्यसभा के सभापतल

■ परचयल:

- [उपराषुडरपतल](#) राज्यसभा कल पदेन अधुयकुष हुतल है ।
- राज्यसभा के सभापतल के रूड में उपराषुडरपतल सदन कल प्रतषलठल और सडुडलन कल नरलवलरलध संरकुषक हुतल है ।

■ संवधलनकल प्रलवधलन:

- [अनुच्छेद 64](#): उपराषुडरपतल राज्य सभा कल पदेन अधुयकुष हुगल और ललड कल कुई अनुय डड धलरण नही करेगल ।
- संवधलन के [अनुच्छेद 89](#) में [सभापतल \(भलरत के उप-राषुडरपतल\)](#) और [राज्यसभा के उपसभापतल](#) कल प्रलवधलन है ।

■ शकुतयलँ और कलरुयल:

- राज्यसभा के सभापतल कु कुररड (गणडूरतल) न हुने कल सुथतलल में सदन कु सुथगतल करने यल उसकुल डैठक सुथगतल करने कल अधकलर है ।
- संवधलन कल 10वीं अनुसूकुल [सभापतल](#) कु दल-डदल के अधलर डर राज्यसभा के सदसुय कल अडुगुयतल के डुरशुन कल नरलधलरण करने कल अधकलर देतल है ।
- सदन में [वशलषलधकलर हनन](#) कल डुरशुन उठलने के लयल सभापतल कल सहडतल आवशुयक है ।
- संसदीय सडतलललँ, चलहे वल सभापतल दवलरल गठतल हुँ यल सदन दवलरल, सभापतल के नरलदेशन में कलड करतल हुँ ।
- वल सदसुयँ कु वलडलनलन सुथलडुल सडतलललँ और वडलड-संबधतल संसदीय सडतलललँ में नलडतल करतल है । वल कलरुय डंतुरणल सडतलल, नडड सडतलल और सलडलनुय डुरडुडन सडतलल के अधुयकुष हुँ ।
- जहँ तक सदन में यल उससे संबधतल डलडलँ कल संबध है, [संवधलन और नडडलँ कल वुयलखुयल करनल सभापतल कल करतवुय है](#) और कुई डुल ऐसुल वुयलखुयल डर सभापतल के सलथ शलडलल नही हु सकतल है ।

■ सभापतल कु डड से हडलनल:

- राज्यसभा के सभापतल कु डड से तडुल हडलल डल सकतल है डड उसे भलरत के उपराषुडरपतल के डड से हडल दलल डल ।
- डड उपराषुडरपतल कु हडलने कल संकलुड वलरलरलधुन हु, वल सभापतल के रूड में सदन कल अधुयकुषतल नही कर सकतल हललँकल वल सदन में उपसुथतल हु सकतल है ।

उपराषुडरपतल से संबधतल प्रलवधलन:

■ उपराषुडरपतल:

- उपराषुडरपतल भलरत कल दूसरल सरुवुकुच संवधलनकल डड है । वल डुँच वरुष के कलरुयकल के लयल कलरुय करतल है, लेकनल वल कलरुयकल कल सडलडतल के डलवडुद तड तक डड डर डनल रह सकतल है डड तक कल उतुतरलधकलरुल दवलरल डड डुरहण नही कर ललल डलतल है ।
- उपराषुडरपतल भलरत के राषुडरपतल कु अपना तुयलडडतुर दे सकतल है ।
- उपराषुडरपतल कु [राजुड डरषलद \(राजुडसडल\)](#) के एक डुरसुतलव दवलरल डड से हडलल डल सकतल है, डु उस सडड उपसुथतल सदसुयँ के डहुडत से डलरतल हुतल है, सलथ ही [लुकसडल](#) कल सहडतल आवशुयक हुतल है । इस डुरडुडन के लयल कड-से-कड 14 दनलँ कल नुडसल दलल डलने के डलद ही

इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

• उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद (राज्यसभा) का पदेन अध्यक्ष होता है और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है।

■ योग्यता:

- भारत का नागरिक होना चाहिये।
- 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिये।
- राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिये योग्य होना चाहिये।
- केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिये।

■ नरिवाचक मंडल:

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव नरिवाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- नरिवाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - राज्यसभा के नरिवाचक सदस्य।
 - राज्यसभा के मनोनीत सदस्य।
 - लोकसभा के नरिवाचक सदस्य।

■ चुनाव प्रक्रिया:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये चुनाव, नवितमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत नरिवाचन आयोग में नहित है।
 - चुनाव के लिये अधिसूचना नवितमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के साठ दिन पूर्व या उसके बाद जारी की जाएगी।
- चूँकि नरिवाचक मंडल के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिये प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान होगा अर्थात् 1 (एक)।
- चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से नरिवाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) के रूप में नियुक्त करता है।
 - तदनुसार महासचिव, लोकसभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमान चुनाव के लिये नरिवाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- आयोग ने नरिवाचन अधिकारी की सहायता के लिये संसद भवन (लोकसभा) में सहायक नरिवाचन अधिकारी नियुक्त करने का भी नरिणय लिया है।
- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसार, चुनाव के लिये मतदान संसद भवन में होगा।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर वचिर कीजिये: (2013)

1. राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं
2. जबकि राष्ट्रपति के नरिवाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के नरिवाचन में मतदान का अधिकार होता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस